सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 411 राँची, गुरुवार, 23 मई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

16 मई, 2019

विषय : केन्द्र एवं झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानो में नामांकन मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संख्या-14/आ०नी०-04-03/2019 का०- 3763-- भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या-36039/1/2019-स्था.(आ०) दिनांक 19.01.2019 के द्वारा सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु आरक्षण स्कीम अन्तर्गत एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० के लिए आरक्षण में अनाच्छादित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में कतिपय निदेश जारी किए गए हैं। पुनः भारत सरकार के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को आवश्यक अनुकूलनोपरान्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-1433 दिनांक 15.02.2019 द्वारा अंगीकृत किया गया है। साथ ही विभागीय संकल्प सं०-1434, दिनांक-15.02.2019 द्वारा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के कतिपय संस्थानों यथा-रेलवे, एन० टी० पी० सी० आदि द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। राज्य में भी झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयो में चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। साथ ही विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में नए सत्र में नामांकन कार्य प्रारम्भ हो रहा है। उक्त सभी विज्ञापनों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। झारखण्ड राज्य में निवासित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के संस्थानो में नियोजन एवं नामांकन में आरक्षण के अवसर का लाभ मिल सके, इसके लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

4. उक्त के प्रसंग में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-36039/2/2019-Estt (Res) दिनांक 27.03.2019 द्वारा यह निदेशित किया गया है कि भारत सरकार के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन के कंडिका-5.2 के आलोक में प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी सम्बन्धित दस्तावेज की भली-भाँति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जाँच कर प्रमाण पत्र निर्गत कर सकेंगे। इस तरह भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त है।

5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्रवाई कर प्रमाण पत्र निर्गत करने के भारत सरकार के निदेश के आलोक में जहाँ तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्राप्त करने हेतु आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र के प्रपत्र में निवास के बिन्दु का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या-3198 दिनांक 18.04.2016 में निर्धारित ''झारखण्ड के स्थानीय निवासी'' की परिभाषा एवं पहचान से सम्बन्धित मानदण्डों/शर्तों को अंगीकृत कर यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक के लिए निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्राप्त करने हेतु आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार तद्नुसार आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 411 -- 50